न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 71/2015

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,अजमेर

.....*प्रार्थी*

बनाम

1. श्री वैभव जैन पुत्र श्री प्रदीप जैन
   मैसर्स वैभव फूड, मैन पोस्ट ऑफिस के सामने, किशनगढ, जिला अजमेर।
2. मैसर्स वैभव फूड, मैन पोस्ट ऑफिस के सामने, किशनगढ, जिला अजमेर।

.....*अप्रार्थीगण*

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (।।) एवं धारा 51 के तहत

उपस्थित : अप्रार्थी स्वयं।

–: आदेश :–

दिनांक– 14.01.2016

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 दिंनाक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण ने सब स्टेण्र्ड मूंगफली का तेल का उपयोग कर खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की 26 की उपधारा 2 (11) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन गजट नोटिफिकेशन की प्रति कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति माल खरीद, बिल असल, फार्म नम्बर 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 29.04.2015 को 08.30 पी.एम. खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स वैभव फूड, मैन पोस्ट ऑफिस के सामने, किशनगढ, जिला अजमेर पर पहूॅचे श्री वैभव जैन पुत्र श्री प्रदीप जैन मौके पर उपस्थित मिले जो आम जनता को कचौरी, मूंगफली के तेल से तैयार कर विक्रय कर रहे थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान में मिलावट का शक होने पर उनमे से नमूना

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner

जॉच हेतु 2 किलोग्राम कचौरी वास्ते नमूना जॉच हेतु 250/– रूपयें श्री वैभव जैन को नगद देकर गवाह श्री प्रेमचंद शर्मा तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के समक्ष क्रय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री वैभव जैन को सम्भलाकर रसीद प्राप्त करने खरीदशुदा कचौरी को चार अलग–2 जार में बराबर–2 मात्रा में डालने के पश्चात प्रत्येक जार में 40–40 बूंद फार्मलीन डालने के पश्चात जार एयरटाईट बन्द कर चारों नमूनों पर लेबल पर डीओ के कोड क्रमांक ए–964 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर हस्ताक्षर करते हुए चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुॅचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर कराकर दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बंद कर चपडी सें सील मोहर कर, खाद्य विश्लेषक, अजमेर को शेष 2 सील बंद नमूना भाग फार्म नम्बर 6 की दो प्रति आउटर कवर मे सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2015/7133 दिनांक 09.06.2015 अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस./268/ एफएसएसए/2015/268 दिंनांक 08.05.2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच उपयोग में ली गई कचौरी सबस्टेण्र्ड होना पाई गई। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 06.08.2015 पेश किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 06.08.2015 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री वैभव जैन को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 16.12.2015 को कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

नियत पेशी पर अप्रार्थी स्वंय उपस्थित हुए तथा जवाब नोटिस पेश किया। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई। अप्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके द्वारा किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है बल्कि सबसे श्रेष्ट गुणवत्ता वाला मूंगफली का तेल स्वास्तिक ब्राण्ड का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कथन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जब कचौरी के सब स्टैण्र्ड होने बाबत रिपोर्ट भिजवाई गई तो अप्रार्थी द्वारा पुनः जॉच हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निवेदन किया गया किन्तू उनके द्वारा समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर प्रकरण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। अप्रार्थी ने आगे कथन किया कि अप्रार्थी मूंगफली के तेल का निर्माता नहीं है बल्कि उनके द्वारा स्वास्तिक निवाई तेल का ही उपयोग किया जाता है। यदि कचौरी सब स्टैण्डर्ड पाई गई है तो इसके लिए तेल निर्माता कम्पनी ही जिम्कचौरीर है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि जांच रिपोर्ट में सब स्टैण्डर्ड पाई गई कचौरी के लिए निर्माता कम्पनी को जिम्कचौरीर मानकर अप्रार्थी को दोषमुक्त किया जावे।

हमने अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पूर्ण विधिक प्रक्रिया के तहत कचौरी का नमूना प्राप्त करने के पश्चात खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर में वास्ते जांच प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner

प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट में उक्त कचौरी मानक स्तर का नहीं पाये जाने पर विधिनुसार यह परिवाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी अपना दोष स्वीकार नहीं कर रहा है, किन्तु लेबोरेट्री टेस्ट जाच रिपोर्ट अनुसार कचौरी पाई गई है, जिससे दोष तो बनता ही है। फलस्वरुप अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा उपधारा 2(11) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी पर राशि रूपये 10,000/– (अक्षरे रूपये दस हजार) शास्ती आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर के नाम डिमाण्ड ड्राफट के माध्यम से निर्णय दिनांक 14.01.2016 के एक माह के अन्दर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 14.01.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

(किशोर कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2016/344-47 दिनांक : 14.1.16

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2– अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अजमेर।
3– अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक चिकित्सा एवं स्वा0 सेवायें जोन, अजमेर।
4– श्री वैभव जैन पुत्र श्री प्रदीप जैन
मैसर्स वैभव फूड, मैन पोस्ट ऑफिस के सामने, किशनगढ, जिला अजमेर।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

Scanned by CamScanner